दूरभाष : 0135 - 2714572
टैलीफैक्स : 0135 - 2714566
ई-मेल : usugars@rediffmail.com

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स)

53-बी, सुभाष रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

पत्रांक 1114 — दिनांक 15.11.11

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
प्रशासक,
उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0
देहरादून।

2395
17/11/11

सेवा में,

1. अधिशासी निदेशक,
   किच्छा शुगर कम्पनी लि0, किच्छा
   डोईवाला शुगर कम्पनी लि0, डोईवाला
2. प्रधान प्रबन्धक,
   सहकारी चीनी मिल, नादेही / बाजपुर / गदरपुर / सितारगंज।

विषय :– सेवाकाल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में सेवाकाल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में पूर्व मे निर्गत निर्देशों को अवक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से मृतक चीनी मिल कर्मी के आश्रित परिवार के सदस्यों में किसी एक सदस्य को नियुक्ति प्रदान करने के लिए निम्न आदेश पारित किये जाते है :–

(क) ऐसे कर्मकार जिनकी मृत्यु चीनी मिल परिसर में कार्य करते समय किसी दुर्घटना के कारण होती है, उनके परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रितों की श्रेणी में शीर्ष प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) ऐसे कर्मकार जो चीनी मिलों में सेवा कर रहे हो जिनकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण होती है उनके आश्रित परिवार के सदस्यों मे से एक को नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

(ग) वे कर्मकार जो आत्महत्या कर ले, या दुर्व्यसनों के कारण या किसी निजी दुश्मनी / गुण्डागर्दी के फलस्वरूप आपसी लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त होते है, ऐसे कर्मकारों के आश्रित परिवार के सदस्य नियुक्ति पाने के लिए पात्र नही होंगे।

उपरोक्त श्रेणी के कर्मकारों में से प्रथम दो श्रेणी के कर्मकारों के आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में नीति निम्नवत् होगी--

यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी की मृत्यु मिल परिसर में हुई किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है, तो उसके आश्रित परिवार जिसके गुजारे का अन्य कोई साधन न हो, के एक सदस्य को सेवायोजन मिल प्रबन्धन द्वारा दिया जायेगा। मृतक चीनी मिल कर्मी के परिवार के सदस्य को गुजारे हेतु नियुक्ति अर्हता एवं उपयुक्तता के अनुरूप रिक्त पद उपलब्ध होने पर दी जा सकेगी।

2. चीनी मिल में महिला कर्मी की नियुक्तियाँ नही है। उन्हें यथासम्भव चीनी मिल के कार्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय में नियुक्ति दी जायेगी।
3. चीनी मिल के जिन मृतक कार्मिकों के परिवार जिनका गुजारा नही हो पा रहा है उनके एक सदस्य को नियुक्ति प्रदान नही की जा सक रही है क्योकि परिवार का सदस्य व्यस्क नही है, पद के लिए अर्हता नही रखता है अथवा उपयुक्त नही है उस परिवार को मृतक चीनी मिल कार्मिक के परिवार को उसके अन्तिम वेतन के अनुरूप एक वर्ष का वेतन राशि भुगतान की जायेगी।
4. चीनी मिल के मृतक कर्मी के परिवार के सदस्य को नियुक्ति पद उपलब्ध होने पर ही दी जायेगी। आश्रित परिवार की महिला सदस्य चीनी मिल कारखाने में कार्य के लिए नियुक्त नही की जायेगी। मृतक चीनी मिल कर्मी के परिवार की महिलाओं को कार्यालय, चिकित्सालय तथा विद्यालय आदि स्थानों पर दिन की पाली में नियुक्ति दी जायेगी।
5. चीनी मिल के मृतक कर्मी के आश्रित परिवार के सदस्य जिनको किसी कारण से भी नियुक्ति नहीं दी जा सकी है उन्हे चीनी मिल मे किसी पद पर नियुक्ति के लिए चयन में 10 प्रतिशत अंक अतिरिक्त रूप से दिये जायेंगे और उनको चयन की प्रवीणता सूची में उक्त 10 प्रतिशत अंक जोड़कर स्थान दिया जायेगा।
6. यह योजना चीनी मिलों के केवल स्थाई एव सीजनल कर्मचारियों पर ही लागू होगी।
7. यदि मृतक के परिवार के किसी सदस्य को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी संस्थान, निजी संस्थान या चीनी मिल में पहले से ही सेवायोजन प्राप्त है, तब मृतक आश्रित को केवल एक मुश्त भुगतान की राशि प्रदान की जायेगी।
8. वेजबोर्ड के अन्तर्गत कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति उसी मिल मे रिक्त पद उपलब्ध होने पर दी जायेगी, जिसमें मृतक कर्मचारी कार्यरत था।
9. वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत रहे मृतक चीनी मिल कर्मकारों के आश्रित परिवार के एक सदस्य को मृतक कर्मकार की प्रवृत्ति के अनुसार स्थाई (पूर्णकालिक) मौसमी (सामयिक) नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
10. मुख्यालय संवर्ग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रित परिवार के एक सदस्य को गुजारा न हो सकने की दशा मे रिक्त पद उपलब्ध होने पर अर्हता एवं योग्यता के अनुसार वेतनमान ₹ 3450--60--3750--66--4740 या निम्न वेतनमान ₹ 2750 -- 48--2990--52--3770 को नियुक्ति प्रदान की जायेगी। मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों परिवार के एक सदस्य को किसी एक मिल में सेवायोजन प्रदान किया जा सकेगा।
11. मृतक आश्रितों की नियुक्ति सामान्यतया: समूह 'ग' व समूह 'घ' के वेतनमान ₹ 3450 -- 60 -- 3750 --66--4740 या निम्न वेतनमान ₹ 2750 -- 48-- 2990--52--3770 के ऐसे अधीनस्थ पदों पर ही की जायेगी जो सीधी भर्ती के पद हो। ऐसे पद जो केवल पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते है, उन पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं दी जायेगी।

13. मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियुक्त व्यक्ति मृतक सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण करेगा। ऐसा न करने पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जायेगी। यह प्रतिबन्ध नियुक्ति दिये जाने से 10 वर्ष के लिए रहेगा।

मृतक चीनी मिल कार्मिक के परिवार में निम्नलिखित सम्मलित होंगे–

(i) मृतक चीनी मिल कर्मी का पति या पत्नी। (जैसी स्थिति हो)

(ii) मृतक चीनी मिल कर्मी की अविवाहित पुत्रियाँ।

(iii) मृतक चीनी मिल कर्मी का पुत्र।

(iv) मृतक चीनी मिल कर्मी की अविवाहित बहन, विधवा माता, अविवाहित भाई, जो मृतक चीनी मिल कर्मी पर आश्रित रहे है।

14. मृतक चीनी मिल कर्मी के आश्रित परिवार के सदस्य मृतक कर्मकार/सेवक की मृत्यु की दिनांक से 03 वर्ष के भीतर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

मृतक चीनी मिल कर्मी के आश्रित परिवार के एक सदस्य को सेवायोजन प्रदान करने में उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सम्पन्न की जाये।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
प्रशासक

संख्या–1114 तद्दिनांक। 15.11.17

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, देहरादून।

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी